



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122020-223936
CG-DL-E-26122020-223936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4131]
No. 4131]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 2020

का.आ. 4694(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, वंडूर एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अण्डमान जिले में 281.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें दक्षिणी अंडमान द्वीप के दक्षिण-पश्चिम तट और रटलैंड द्वीप के उत्तर-पश्चिम तट के बीच भौगोलिक रूप में अवस्थित लैबिरिंथ समूह के 15 द्वीप समूह शामिल हैं।

और जबकि, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्र में से केवल लगभग 61.5 वर्ग किलोमीटर भू-भाग है जिसमें मुख्य दक्षिणी अंडमान द्वीप और दक्षिणी अंडमान जिले में रटलैंड द्वीप के तट के साथ-साथ फैली उच्च ज्वार रेखा के ऊपर 10 बड़े/ मध्यम आकार के द्वीपसमूह (150 हेक्टेयर से 2333 हेक्टेयर), 5 छोटे द्वीपसमूह (50 हेक्टेयर से कम) और 100 मीटर चौड़ी पट्टी का लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। शेष 220 वर्ग किलोमीटर में खुले समुद्री स्थल और खाड़ियां शामिल हैं जो समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवास-स्थल के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकार के समुद्री पर्यावास भी उपलब्ध करता है जैसे कि प्रवाल- भित्तियां, समुद्री घास का तल स्थलीय परि-प्रणालियां, तटीय वन जैसे सदाबहार वन, अर्ध-सदाबहार वन, पर्णपाती वन आदि।

और जबकि, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान समुद्री कछुओं नामतः लैदरबैक कछुआ (*डर्मोकैलिस कोरियासिए*), हरा समुद्री कछुआ (*केलोनिअन माइडस*), हॉक्सबिल कछुआ (*इरेटमोकलायुस इम्ब्रिकेट*) और ऑलिव रिडले कछुआ (*लेपिडोकैलिस ऑलिवसिए*) के लिए भोजन और प्रजनन हेतु भूमि उपलब्ध कराता है। रटलैंड द्वीप का जहाजी समुद्रतट, ट्विन द्वीप-समूह, टरमुगली और बोट द्वीप के समुद्रतट, इस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रमुख आवास स्थल हैं।

और जबकि, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप की 19 प्रजातियां दर्ज की गई हैं जिनमें कछुओं की 4 प्रजातियां, सांपों की 10 प्रजातियां, छिपकलियों की 4 प्रजातियां और खारे पानी के मगरमच्छ (*क्रोकोडायलस पोरॉसस*) की एक प्रजाति शामिल है। इस उद्यान में मौजूद विषैले जमीनी सांप अंडमान कोबरा (*नाजा सागिटीफेरा*), किंग कोबरा (*ओफियोफैगस हनाह*), बैडिड करैत (*बुंगारस फैसिआटस*) और पिट वाइपर हैं। इस द्वीपसमूह पर आंतरिक वन भूमि जमीनी सांपों जैसे अंडमान किंग कोबरा (*ओफियोफैगस हनाह*), अंडमान कोबरा (*जीनस नाजा*), अंडमान पिट वाइपर (*ट्रिमेरेसुरस अंडेरसोनी*), रैट स्लेक और वुल्फ स्लेक के लिए पर्यावास उपलब्ध करता है। अंतर-ज्वारिया क्षेत्रों में कुछ चट्टानी उद्गमन और खोखले पेड़ और चट्टानें, समुद्री करैत (*लेटिकुआडा लेटिकौडा*) के लिए विश्राम स्थल उपलब्ध कराती हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर द्वीपसमूह में समुद्र के तट और इसकी समीपवर्ती वनस्पति विभिन्न अन्य गैर-विषैले सांपों और समुद्री सांपों आदि के लिए पर्यावास के रूप में कार्य करते हैं।

और जबकि, स्तनपाइयों की संसूचित प्रजातियों में अंडमान वाइल्ड पिग (*सुस स्क्रोफा अंडमानेंसिस*), अंडमान मास्कड पाम सिवेट (*पागुमा लारवटा टाइटलर*), स्पॉटिड डीअर (*एक्सिस एक्सिस*), फ्रूट बैट, रैट आदि शामिल हैं, तथापि लम्बे भौगोलिक अलगाव के कारण यहां बड़े स्थानिक स्तनपायी प्राणि-जात का भली-भांति वर्णन नहीं किया गया है।

और जबकि, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को अब तक संसूचित पक्षियों की लगभग 270 प्रजातियों और उप-प्रजातियों के साथ विश्व के स्थानिक पक्षी क्षेत्रों (स्टैटर फिल्ड एट अल, 1998) में से एक के रूप में विनिदिष्ट किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान (आईएन-एएन-11) को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (आईबीए) के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 19 स्थलों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया है और इसे आईबीए मानदण्ड ए1 और ए2, अर्थात् महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजातियों और प्रतिबंधित रेंज प्रजातियों के लिए, निर्दिष्ट किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर द्वीपसमूह, पक्षियों की अनेक संकटापन्न प्रजातियों जैसे कि वाइट बैलिड सी ईगल (*हलियाईटस लेयुकोगास्टर*), अंडमान डार्क सपैट ईगल (*स्पिलोरनिस एल्लिनि*), ब्राउन नोडुली (*अनोवस स्टोलिडस*), अंडमान टील (*अनस अल्बोगुलारिस*), अंडमान वुड पिजन (कोलम्बा पालुमबोइडेस्क) और अन्य पक्षिजात के लिए सुलभ पर्यावास और प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करते हैं। मानसून (मई-जून) के दौरान, अंडमान टील्स, रेड स्किन द्वीप के दक्षिणी हिस्से,

टरमुगली द्वीप, रेड स्किन द्वीप के दक्षिण-पश्चिम, प्लूटो के उत्तर, बोट के दक्षिण-पूर्व और दक्षिणी स्नोब द्वीप में प्रजनन करते हैं।

और जबकि, इस क्षेत्र से संसूचित उभयचरों की प्रजातियों में रेनीडेड परिवार का साल्टवाटर फ्रांग (*राना कैन्क्रिवोरा*), पैडी फ्रांग (*राना लिमनोचेरिस*), अंडमान पैडी फ्रांग (*राना लिमनोचेरिस अंडमानेंसिस*) और माइक्रोहाईलिडेड परिवार का बाउलेंगर्स नैरो माउथड फ्रांग (*माइक्रोफाइलेन ऑर्नेट*) और इंडियन टोड (*बुफो मेलनस्टिकटस*) शामिल हैं।

और जबकि, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर प्रवाल भित्तियां सर्वाधिक जैविक रूप से उत्पादक और सभी प्राकृतिक परि-प्रणाली की विविधता वाली हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकारा गया है। ग्रब, रेड स्किन, जॉली ब्योए, बोट, टरमुगली द्वीप आदि के आसपास छिछले पानी में प्रवाल की समृद्ध कॉलोनी प्रचुरता से पाई जाती हैं। ये प्रवाल भित्तियां महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली मछलियों की लगभग सभी प्रजातियों के लिए प्रजनन आधार प्रदान करती है।

और जबकि, यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 42 परिवारों की मछलियों की 282 प्रजातियों को आश्रय देता है, जो सभी द्वीपसमूहों के छिछले किनारों पर विविध प्रवाल भित्तियों में फैला है। सर्वाधिक विविध परिवार, पोमास्ट्रिडेई (36 स्पा) के हैं उसके बाद चेइटोडेन्टीडेई (30 स्पा) और लाब्रीडेई (29 स्पा) का स्थान है।

और, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति बहुत ही समृद्ध है, जिसमें केवल 61.5 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में होने वाले लगभग 298 स्पर्माटोफाइटिक टाक्सा है। इस क्षेत्र में 18 स्थानिक प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिसमें *सेमेकार्पस कुर्जी* (एनाकार्डिएसी), *पॉलीथिया पार्किंसनी* (एनोनेशिया), *अल्स्टोनिया कुर्जी*, *तबरनेमोंटाना क्रिस्पा* (एपोकिनेसी), *हिप्पोक्रेटिया अंडमानिका* (सेलेस्टेराकेया), *चाइल्लेइटिया अंडमानिका* (चाइल्लेटियाकेया), *गरकिनिया अंडमानिका* (क्लुसियाकेया), *एक्टेफिला पुबेरूला* (यूफोरबिकेया), *डेरिस अंडमानिका*, *डेरिस वाल्लिचि*, *टडेहागी ट्रीक्यूटरूम* (फाबाकेया), *अमुरा मणि* (मेलियासी), *सायचोटोरिया अंडमानिका* रूबिअकेया), *मनिकारा लिट्टोरालिस* (सपोटाकेया), *विटेक्स डीवेरसिफोलिया* (वेरबेनाकेया) और *टेटरास्टीगमा अंडमानिकुम* (विटाकेया) शामिल हैं। वृक्ष की छः प्रजातियां दुर्लभ / संकटापन्न *बोम्बक्स इंसिगने* (बोम्बाकाकेया), *टडेहागी ट्रीक्यूटरूम* (फाबाकेया), *अमोरा मणि* (मेलियाकेया), *पलेकोस्पेरमुम अंडमानिकुम* (मोराकेया), *ओलाक्स इम्बरिकाटा* (ओलाकाकेया) और *पिटोस्पेरुम फेरूगिनियम*, (पिटोस्पेराकेइया) हैं। रटलैंड द्वीप और सैडल पीक क्षेत्र से जंगली राइस, ओरिजा अंडमानिका की एक नई प्रजाति की हाल में खोज से पता चलता है कि यह द्वीप एक बड़ी जैवविविधता का भंडार है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी चार जिमनोस्पर्मम *क्यकास रूमफि*, *पोडोकारपु स्फेरिफोलिया*, *गनेतुम स्कांडेंस* और *नागेइअवाल्लि चिअनुसारे* अंडमान द्वीपों से प्रतिवेदित किए गए हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त विशेषता है।

और, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान का काफी क्षेत्र लाभप्रद और अखंड मैंग्रोव वनों का है। उद्यान से मैंग्रोव की 13 प्रजातियां अर्थात् *अकांथुस इलिकिफोलिउस*, *अकांथुस इबराकटेइडुस*, *अविसेन्निया ओम्फिसिनालिस*, *बरुगुइरा जिम्नोरहिजा*, *केरीओपस्टागल*, *रहीजोफोरा अपिकुलाटा*, *रहीजोफोरा मुकरानाटा*, *लुन्निइटजेरा लिट्टोरेया*, *स्कयफिओफोरा हायड्रोफयल्लाकेया*, *स्कयफिओफोरा अपेटाला*, *शिलोकारपुस ग्ररानातुम*, *शिलोकारपुस मोलुक्केंसिस* और *हेरिटीइरा लिट्टोरालिस* अभिलिखित की गई है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव प्रजातियों में प्रमुख जेनस रहीजोफोरेस सूचित की गई है।

और, यह उद्यान समुद्री घास बेडों के विकास के लिए सहायक है, लेकिन बहुत कम क्षेत्रों को खोजा गया है। ज्ञात समुद्र घास बेड रेड स्कीन और बॉट द्वीपों, अम्देरा और वंदूर के अंतराज्वारीय क्षेत्र और चेस्टर के उप-ज्वारीय क्षेत्र, ग्रव, जॉली बॉय और तरमुगली द्वीपों के बीच के क्षेत्र है। अब तक, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रीय जल में समुद्र घासों की 5 प्रजातियां हेलोफिलिया ओवाटा, हालोडुले पिनोफोलिया, थालास्सिया हेमपरिचि, क्यमोडोकेया सेरूलाटा और इंहालुस अकोरोइडेस अभिलिखित की गई है।

और, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश दक्षिण अंडमान जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर (0 (शून्य) से 100 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 100 मीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 4.05 वर्ग किलोमीटर है। शून्य विस्तार है जहां महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की सीमाप राजस्व ग्रामों की सीमा के साथ एक समान है और जब सीमा समुद्र जल से होते हुए जाती है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा का विवरण **अनुलग्नक -Iक और अनुलग्नक -IIख** के रूप में संलग्न है।

(3) भू-निर्देशांकों, सैटेलाइट चित्र और अवस्थान मानचित्रों सहित महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक -IIक, अनुलग्नक -IIख, और अनुलग्नक -IIग** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई राजस्व ग्राम स्थित नहीं है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**-(1) केंद्र शासित प्रदेश सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, केंद्र शासित राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे केंद्र शासित सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण और वन;
- (ii) कृषि;
- (iii) पशुपालन
- (iv) अंडमान लोक निर्माण विभाग;
- (v) राजस्व;
- (vi) मत्स्य;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) अंडमान एवं लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण (एएलएचडब्ल्यू) और अन्य अनुसंधान संगठन।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नदी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किए जाने वाले उपाय.- केंद्र शासित प्रदेश अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमति नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं केंद्र शासित सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा केंद्र शासित सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, केंद्र शासित सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और केंद्र शासित सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना केंद्र शासित सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा

पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकीविकास-शिक्षा और पारिस्थितिकी- पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और केंद्र शासित सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	नए तेल, गैस और खनिज अन्वेषण की स्थापना	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या

		पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या केंद्र शासित के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को लागू विधियों के अधीन विनियमित अन्यथा प्रदान किए गए होंगे।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	उपायुक्त, दक्षिण अंडमान	पदेन, अध्यक्ष;
2.	अध्यक्ष, जिला परिषद, दक्षिण अंडमान और निकोबार	सदस्य;
3.	मुख्य अभियंता या उनके प्रतिनिधि, अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन।	सदस्य;
4.	निदेशक, कृषि या उनके प्रतिनिधि, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ।	सदस्य;
5.	निदेशक, पर्यटन या उनके प्रतिनिधि, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ।	सदस्य;
6.	निदेशक, मत्स्य पालन या उनके प्रतिनिधि, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ।	सदस्य;
7.	निदेशक, एएच और वीएस या उनके प्रतिनिधि, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ।	सदस्य;
8.	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि (विरासत संरक्षण सहित) को केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाना है।	सदस्य;
9.	एक प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण या पारिस्थितिकी या वन्यजीव का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
10.	केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
11.	प्रभागीय वन अधिकारी, दक्षिण अंडमान विभाग	सदस्य;
12.	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, पोर्ट ब्लेयर।	सदस्य- सचिव

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर केंद्र शासित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और केंद्र शासित सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/23/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक - I

महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की सीमा वंदूर के राजस्व गांव के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्यान सीमा के उत्तरी सिरे से भू-संदर्भ बिंदु "बी" 11° 35' 14.818" उ और 92° 36' 52.944" पू से होकर "सी" 11° 35' 15.937" उ और 92° 37' 7.070" पू पर मिलती है जो वंदूर के पीएफ IV ब्लॉक की वन सीमा से मिलती है जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा वन क्षेत्र में 100 मीटर जाती है और पूर्व की ओर तट के साथ साथ तब तक आगे

बढ़ती है जब तक वह भू-संदर्भ बिंदु "डी" $11^{\circ} 34' 36.552''$ उ और $92^{\circ} 37' 34.545''$ पू तक मिलती है और यह राजस्व गांव की सीमा के बिंदु "ई" $11^{\circ} 34' 41.401''$ उ और $92^{\circ} 37' 31.938''$ पू तक जाती है और पुनः बंदूर के पीएफ IV भू-संदर्भित बिंदु "एफ" से प्रवेश करती है और बंदूर राजस्व के बिंदु "जी" पर $11^{\circ} 34' 49.736''$ उ और $92^{\circ} 37' 37.365''$ पू पर मिलती है, इसके बाद यह सीमा राजस्व सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि वह बिंदु "एच" $11^{\circ} 35' 7.094''$ उ और $92^{\circ} 38' 9.969''$ पू तक नहीं मिल जाती, वहां यह मैंगुलतान पोर्ट आर एफ 1 से मिलती है, वहां से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा आरएफ 100 मीटर जाती है और बिंदु "आई" $11^{\circ} 34' 42.259''$ उ और $92^{\circ} 38' 16.225''$ पू से मिलने तक दक्षिण की ओर जाती है जो इंद्रानगर के राजस्व गांव की सीमा से मिलता है।

पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की पूर्वी सीमा भू-संदर्भित बिंदु "आई" से शुरू होती है और इंद्रानगर, मंगलुट्टन, गुप्तपारा और मंजेरी के राजस्व गांव की सीमा के साथ-साथ दक्षिणी ओर बढ़ती है जब तक कि वह चिड़िया टापू आर एफ आई में बिंदु "जे" $11^{\circ} 32' 8.918''$ उ और $92^{\circ} 38' 50.355''$ पू पर मिलती है। इसके बाद, राष्ट्रीय उद्यान की मौजूदा सीमा से आर एफ में 100 मीटर तक सीमा चलती है और बिंदु "के" $11^{\circ} 30' 22.417''$ उ और $92^{\circ} 40' 25.131''$ पू पर मिलने तक तट के साथ-साथ चलती है और बिंदु "एल" $11^{\circ} 30' 20.475''$ उ और $92^{\circ} 40' 22.469''$ पू तक पहुंचती है जो राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा को अंतिम छोर है।

इसके बाद, यह सीमा मैक फर्सन स्ट्रेट को एक काल्पनिक रेखा द्वारा पार करते हुए बिंदु "एम" $11^{\circ} 29' 26.576''$ उ और $92^{\circ} 39' 52.536''$ पू मिलने तक आगे बढ़ती है और रटलैंड आर एफ पर बिंदु "एन" $11^{\circ} 29' 27.662''$ उ और $92^{\circ} 39' 56.901''$ पू तक मिलने के लिए 100 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। रटलैंड राजस्व गांव (पुरन्देरा) में बिंदु "ओ" $11^{\circ} 29' 10.229''$ उ और $92^{\circ} 39' 56.840''$ पू तक मिलने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पश्चिम की ओर बढ़ती है, जहां से पारिस्थितिकी संवेदी जोन "पी" $11^{\circ} 29' 26.918''$ उ और $92^{\circ} 39' 1.744''$ पू, से मिलने तक राष्ट्रीय उद्यान की नियमित सीमा के साथ बढ़ती है, जहां से सीमा बिंदु "क्यू" $11^{\circ} 29' 42.302''$ उ और $92^{\circ} 38' 34.369''$ पू के दक्षिण पश्चिम में बढ़ती है जो रटलैंड के दूसरे राजस्व गांव बस्ती पर मिलती है जहां से पारिस्थितिकी संवेदी जोन महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की नियमित सीमा के साथ बिंदु "आर" $11^{\circ} 29' 58.790''$ उ और $92^{\circ} 38' 30.422''$ पू तक पहुंचती है।


बिंदु "आर" से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के तट के साथ दक्षिण की ओर राष्ट्रीय उद्यान की मौजूदा सीमा से 100 मीटर की दूरी के साथ चलती है, जब तक यह "एस" $11^{\circ} 22' 7.441''$ उ और $92^{\circ} 34' 59.099''$ पू बिंदु तक नहीं पहुंचती है।

दक्षिण: पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की दक्षिणी सीमा रटलैंड द्वीप समूह की बिंदु "एस" से उत्तर-पश्चिम भू-संदर्भ बिंदु "टी" $11^{\circ} 22' 8.851''$ उ और $92^{\circ} 34' 56.127''$ पू से समुद्र के किनारे तक जाती है इस बिंदु से पारिस्थितिकी संवेदी जोन महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की विद्यमान सीमा के साथ-साथ चलता है और बिंदु "यू" $11^{\circ} 22' 31.669''$ उ और $92^{\circ} 31' 30.346''$ पू पर उद्यान की दक्षिण-पूर्वी सीमा तक काल्पनिक रेखा से गुजरता है।

पश्चिम: महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ-साथ भू-संदर्भ बिंदु "यू" से टरमुगली द्वीप समूह के उत्तर-पश्चिमी सिरे के बिंदु "ए" $11^{\circ} 36' 37.586''$ उ और $92^{\circ} 31' 25.921''$ से मिलने के लिए चलती है और एलेक्जेंडा द्वीपसमूह के उत्तरी सिरे पर बिंदु "बी" से मिलने के लिए पूर्व की ओर मुड़ती है।

भू-निर्देशांकों के साथ महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

Map showing the proposed Eco Sensitive Zone of MGMNP



अनुलग्नक – IIख


महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट चित्र

Map showing the proposed Eco Sensitive Zone of MGMNP



महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान का अवस्थान मानचित्र

LOCATION MAP OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK



अनुलग्नक -III

मानचित्र पर दर्शाये गये महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
ए	11° 36' 37.586" उ	92° 31' 25.921" पू
बी	11° 35' 14.818" उ	92° 36' 52.944" पू
सी	11° 35' 15.937" उ	92° 37' 7.070" पू
डी	11° 34' 36.552" उ	92° 37' 34.545" पू
ई	11° 34' 41.401" उ	92° 37' 31.938" पू
एफ	11° 34' 55.092" उ	92° 37' 34.458" पू
जी	11° 34' 49.736" उ	92° 37' 37.365" पू
एच	11° 35' 7.094" उ	92° 38' 9.969" पू
आई	11° 34' 42.259" उ	92° 38' 16.225" पू
जे	11° 32' 8.918" उ	92° 38' 50.355" पू
के	11° 30' 22.417" उ	92° 40' 25.131" पू
एल	11° 30' 20.475" उ	92° 40' 22.469" पू
एम	11° 29' 26.576" उ	92° 39' 52.536" पू
एन	11° 29' 27.662" उ	92° 39' 56.901" पू
ओ	11° 29' 10.229" उ	92° 39' 56.840" पू
पी	11° 29' 26.918" उ	92° 39' 1.744" पू
क्यू	11° 29' 42.302" उ	92° 38' 34.369" पू
आर	11° 29' 58.790" उ	92° 38' 30.422" पू
एस	11° 22' 7.441" उ	92° 34' 59.099" पू
टी	11° 22' 8.851" उ	92° 34' 56.127" पू
यू	11° 22' 31.669" उ	92° 31' 30.346" पू

अनुलग्नक -IV

की गई कार्रवाई - सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

S.O. 4694 (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

AND WHEREAS, the Mahatma Gandhi Marine National Park, Wandoor is a marine protected area and is spread over an area of 281.5 square kilometers in the South Andaman district of Andaman & Nicobar Islands. It comprises of 15 Islands of the Labyrinth group, geographically situated between South-West coast of South Andaman Island and North-west coasts of Rutland Island.

AND WHEREAS, out of the total area of the Mahatma Gandhi Marine National Park, only about 61.5 square kilometer is landmass, which includes 10 large/medium sized Islands (150 ha to 2333 ha), 5 small islands (less than 50 ha) and about 600 ha of 100 meter strip, above high tide line, spanning along the coast of main South Andaman Island and Rutland Island in South Andaman District. The remaining 220 square kilometer comprises of open sea spaces and creeks which act as an important nesting ground for sea turtles. It also provide different kinds of marine habitats such as coral reefs, sea grass beds, terrestrial eco-systems like littoral forest, evergreen forest, semi evergreen forest, deciduous forest etc.

AND WHEREAS, Mahatma Gandhi Marine National Park provides ideal feeding and breeding grounds for the sea turtles viz. leatherback turtle (*Dermochelys coriacea*), green sea turtle (*Chelonia mydas*), hawksbill turtle

(*Eretmochylus imbricate*) and olive ridley turtle (*Lepidochelys olivacea*). The Jahaji beach of Rutland Island, beaches of Twin Islands, Tarmugli and Boat Island are the major turtle nesting ground within the Marine National Park.

AND WHEREAS, 19 species of reptiles have been recorded from Mahatma Gandhi Marine National Park, which include 4 species of turtles, 10 species of snakes, 4 species of lizards and a species of salt water crocodile (*Crocodylus porosus*). The venomous land snakes present in the park are Andaman cobra (*Naja sagittifera*), king cobra (*Ophiophagus hannah*), banded krait (*Bungarus fasciatus*) and pit viper. Inland forest on the islands provide habitat for land snakes such as Andaman king cobra (*Ophiophagus hannah*), Andaman cobra (Genus *Naja*), Andaman pit viper (*Trimeresurus andersonii*), rat snake and wolf snake. Some of the rocky outcrops and tree hollow and rocks in inter-tidal areas, provide resting places for sea kraits (*Laticuada laticauda*). The sea beaches in the Islands within the Marine National Park and its adjoining vegetation serves as a habitat for several other non-poisonous snakes and sea snakes etc.

AND WHEREAS, the species of mammals reported includes Andaman wild pig (*Sus scrofa andamanensis*), Andaman masked palm civet (*Paguma larvata tytler*), spotted deer (*Axis axis*), fruit bats, rats etc; though the large terrestrial mammalian fauna is not well represented here due to the long geographical isolation.

AND WHEREAS, the Andaman & Nicobar Islands have been designated as one of the endemic bird areas of the world (Statter field et al, 1998) with about 270 species and sub-species of birds reported so far. Bird Life International has identified Mahatma Gandhi Marine National Park (IN-AN-11) as one of the 19 sites in Andaman and Nicobar islands as Important Bird Areas (IBA) and has been assigned the IBA criteria A1 and A2 i.e. for important threatened species and restricted range species. The islands within Mahatma Gandhi Marine National Park, serves as the viable habitat and breeding ground to many endangered species of birds like white bellied sea eagle (*Haliaeetus leucogaster*), Andaman dark serpent eagle (*Spilornis elgini*), brown noddy (*Anous stolidus*), Andaman teal (*Anas albogularis*), Andaman wood pigeon (*Columba palumboidesc*) and other avifauna. During monsoon (May-June), Andaman teals breed in the southern portion Red Skin, Tarmugli Island, South-West of Red Skin Island, North of Pluto, South-east of Boat and South Snob Island.

AND WHEREAS, the species of amphibians reported from the area include Saltwater frog (*Rana cancrivora*), Paddy frog (*Rana limnocharis*), Andaman paddy frog (*Rana limnocharis andamanensis*) of Family Ranidae, Boulenger's narrow mouthed frog (*Microphylain ornate*) and Indian toad (*Bufo melanstictus*) of family Microhylidae.

AND WHEREAS, the Coral reefs within the boundary of the Marine National Park ranks among the most biologically productive and diverse of all-natural ecosystem and is internationally acclaimed. Healthy colonies of corals are abundantly found in the shallow water around Grub, Red Skin, Jolly Buoy, Boat, Tarmugli Island etc. These coral reefs are the breeding ground of almost all species of fishes found in Mahatma Gandhi Marine National Park;

AND WHEREAS, the Marine National Park support the 282 species of fishes belonging to 42 families, which is spread across diverse coral reefs over the shallow shores of all the islands. The most diverse families are Pomacentridae (36 spp.) followed by Chaetodontidae (30spp.) and Labridae (29 spp.).

AND WHEREAS, the flora of the Mahatma Gandhi Marine National Park is very rich with about 298 spermatophytic taxa occurring in just 61.5 square kilometer land mass. There are 18 endemic species recorded in the area which includes *Semecarpus kurzii* (Anacardiaceae), *Polyalthia parkinsonii* (Annonaceae), *Alstonia kurzii*, *Tabernaemontana crispa* (Apocynaceae), *Hippocretea andamanica* (Celesteraceae), *Chailletia andamanica* (Chailletiaceae), *Garcinia andamanica* (Clusiaceae), *Actephila puberula* (Euphorbiaceae), *Derris andamanica*, *Derris wallichii*, *Tadehagi triquetrum* (Fabaceae), *Amoora manii* (Meliaceae), *Psychotria andamanica* Rubiaceae), *Manilkara littoralis* (Sapotaceae), *Vitex diversifolia* (Verbenaceae) and *Tetrastigma andamanicum* (Vitaceae). Six species of trees are rare/threatened viz., *Bombax insigne* (Bombacaceae), *Tadehagi triquetrum* (Fabaceae), *Amoora manii* (Meliaceae), *Plecosperrum andamanicum* (Moraceae), *Olax imbricata* (Olacaceae) and *Pittospermum ferruginium*, (Pittosporaceae). The recent discovery of a new species of wild rice, *Oryza andamanica* from Rutland Island and Saddle Peak area shows that these islands are repository of a greater biodiversity and much of it is still to be discovered. All the four gymnosperms reported from Andaman Islands viz. *Cycas rumphii*, *Podocarpus snerifolia*, *Gnetum scandens* and *Nageiawalli chianusare* found in the area which is an added attribute for the conservation and protection of the National Park.

AND WHEREAS, the Mahatma Gandhi Marine National Park have a considerable area under healthy and intact mangrove forests. 13 species of mangroves are recorded from the park namely *Acanthus ilicifolius*, *Acanthus ebracteatus*, *Avicennia officinalis*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Cerriopstagal*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucranata*, *Lumnitzera littorea*, *Scyphiophora hydrophyllacea*, *Scyphiophora apetala*, *Xylocarpus granatum*, *Xylocarpus moluccensis* and *Heritiera littoralis*. Genus *Rhizophora* is predominant among the mangrove species reported from the Marine National Park.

AND WHEREAS, the park support the sea grass beds, but very few areas have been explored. The known sea grass beds are from area between Red Skin and Boat Islands, intertidal area of Amdera and Wandoor and sub tidal region of Chester, Grub, Jolly Buoy and Tarmugli Islands. So far, 5 species of sea grasses are recorded in the territorial water of MGMNP, viz. *Halophilia ovata*, *Halodule pinofolia*, *Thalassia hemprichi*, *Cymodocea serrulata* and *Enhalus acoroides*.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mahatma Gandhi Marine National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of 0 (zero) to 100 meters around the boundary of Mahatma Gandhi Marine National Park in South Andaman District in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands as Mahatma Gandhi Marine National Park Eco-sensitive Zone (here after in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- (2) **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of **0 (zero) to 100 meters** around the boundary of Mahatma Gandhi Marine National Park and the area of the Eco-sensitive zone **4.05 square kilometres**. The zero extent is where the boundary of the Mahatma Gandhi Marine National Park coincides with the boundary of the revenue villages and when the boundary passes through the sea water.
- (2) The extent and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- IA and Annexure-IB.**
- (3) Map of Eco-sensitive Zone of Mahatma Gandhi Marine National Park along with geo-coordinates, satellite image and location maps are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.**
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of the Eco-sensitive zone of Mahatma Gandhi Marine National Park is appended as **Annexure-III.**
- (5) No revenue villages are located within the Eco-sensitive Zone

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. - (1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of Union Territory .

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment and Forests;
- (ii) Agriculture;
- (iii) Animal Husbandry;
- (iv) Andaman Public Works Department;
- (v) Revenue;
- (vi) Fisheries;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Andaman and Lakshadweep Harbour Works (ALHW) and other research organisations

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government.- The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union Territory Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (ii) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (i) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (ii) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and

Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
8.	Establishment of new oil, gas and mineral exploration	Prohibited
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union Territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union Territory Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and

	new roads.	regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, South Andaman	Chairman;
2.	Chairperson, Zilla Parishad, South Andaman & Nicobar	Member;
3.	Chief Engineer or his representative, Andaman Public Works Department, Andaman & Nicobar Island Admin.	Member;
4.	Director, Agriculture or his representative, Andaman & Nicobar Island Admin.	Member;
5.	Director, Tourism or his representative, Andaman & Nicobar Island Admin.	Member;
6.	Director, Fisheries or his representative, Andaman & Nicobar Island Admin.	Member;
7.	Director, AH&VS or his representative, Andaman & Nicobar Island Admin.	Member;
8.	One Representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Union territory Government.	Member;
9.	One expert on environment or ecology or wildlife from a reputed Institution	Member;
10.	One member of the Union Territory Biodiversity Board/Council	Member;
11.	Divisional Forest Officer, South Andaman Division	Member;
12.	Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Port Blair.	Member Secretary;

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union Territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union Territory as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No 25/23/2020-ESZ]

Dr. SATISH C GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

BOUNDARY DESCRIPTION OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK ECO-SENSITIVE ZONE

NORTH: The Eco-sensitive Zone (ESZ) boundary of Mahatma Gandhi Marine National Park starts from Geo-reference point "B" 11° 35' 14.818" N and 92° 36' 52.944" E from the Northern tip of the National Park boundary along the revenue village of Wandoor meeting at Geo-reference point "C" 11° 35' 15.937" N and 92° 37' 7.070" E which meets Forest boundary of Wandoor PF IV block where the ESZ boundary travels 100 mtr into forest areas and proceeds further towards East along the coast till it meets Geo-reference point "D" 11° 34' 36.552" N and 92° 37' 34.545" E and it follows the revenue village boundary from point "E" 11° 34' 41.401" N and 92° 37' 31.938" E and again enters into Wandoor PF IV from geo referenced points "F" till it meets point "G" at Wandoor revenue at 11° 34' 49.736" N and 92° 37' 37.365" E. thence the boundary follows the revenue boundary till it meets point "H" 11° 35' 7.094" N and 92° 38' 9.969" E where it meets Mangultan Port Mout RF I from where the ESZ boundary travels 100 mtr into RF and travels south till it meets point "I" 11° 34' 42.259" N and 92° 38' 16.225" E which meet revenue village boundary of Indra Nagar.

EAST: The Eastern boundary of the Eco sensitive zone starts from Geo-reference point "I" and moves south along the revenue village boundary of Indranagar, Manglutan, Guptapara and Manjeri till it meets point "J" 11° 32' 8.918" N and 92° 38' 50.355" E at Chidiyatpau RF I. Thence the boundary moves 100 mtr into RF from existing boundary of National park and travels along the coast till it meets point "K" 11° 30' 22.417" N and 92° 40' 25.131" E and reaches up to a Point "L" 11° 30' 20.475" N and 92° 40' 22.469" E which is the eastern most boundary of the National Park.

Thence the boundary crosses through the Mac Pherson Strait through an imaginary line till it meets the point "M" 11° 29' 26.576" N and 92° 39' 52.536" E and moves 100mtr south east to meet point "N" 11° 29' 27.662" N and 92° 39' 56.901" E at Rutland RF. The boundary of ESZ travels west to meet Point "O" 11° 29' 10.229" N and 92° 39' 56.840" E at Rutland revenue village (Puranadera), from where the ESZ boundary follows regular boundary of National Park till it meets point "P" 11° 29' 26.918" N and 92° 39' 1.744" E, from where the boundary moves south west towards point "Q" 11° 29' 42.302" N and 92° 38' 34.369" E which meets at second revenue village settlement of Rutland where ESZ follow regular boundary of Mahatma Gandhi Marine National Park till it reaches point "R" 11° 29' 58.790" N and 92° 38' 30.422" E.

From point "R" the ESZ boundary runs south wards along the coast of Mahatma Gandhi Marine National Park with 100 mtr landwards from existing boundary of National Park till it reaches point "S" 11° 22' 7.441" N and 92° 34' 59.099" E.


SOUTH: The Southern boundary of the Eco sensitive Zone runs across the sea shore from Point "S" of Rutland Island towards North- West Geo-reference point "T" 11° 22' 8.851" N and 92° 34' 56.127" E from this point the ESZ follows existing boundary of Mahatma Gandhi Marine National Park and reaches through imaginary line to the south western boundary of the park at point "U" 11° 22' 31.669" N and 92° 31' 30.346" E.

WEST: The Western boundary of Eco Sensitive Zone of the Mahatma Gandhi Marine National Park runs from geo reference point "U" along the boundary of Marine National Park to meet point "A" 11° 36' 37.586" N and 92° 31' 25.921" E at North western tip over Tarmugli Island and turns East ward to meet point "B" at Northern tip of Alexandra Island.

ANNEXURE II A

ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map showing the proposed Eco Sensitive Zone of MGMNP



ANNEXURE II B

SATELLITE IMAGE OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE


Map showing the proposed Eco Sensitive Zone of MGMNP



ANNEXURE II C

LOCATION MAP OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK

LOCATION MAP OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK



ANNEXURE - III

GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHATMA GANDHI MARINE NATIONAL PARK SHOWN ON MAP

Point	Latitude	Longitude
A	11° 36' 37.586" N	92° 31' 25.921" E
B	11° 35' 14.818" N	92° 36' 52.944" E
C	11° 35' 15.937" N	92° 37' 7.070" E
D	11° 34' 36.552" N	92° 37' 34.545" E
E	11° 34' 41.401" N	92° 37' 31.938" E
F	11° 34' 55.092" N	92° 37' 34.458" E
G	11° 34' 49.736" N	92° 37' 37.365" E
H	11° 35' 7.094" N	92° 38' 9.969" E
I	11° 34' 42.259" N	92° 38' 16.225" E
J	11° 32' 8.918" N	92° 38' 50.355" E
K	11° 30' 22.417" N	92° 40' 25.131" E
L	11° 30' 20.475" N	92° 40' 22.469" E
M	11° 29' 26.576" N	92° 39' 52.536" E
N	11° 29' 27.662" N	92° 39' 56.901" E
O	11° 29' 10.229" N	92° 39' 56.840" E
P	11° 29' 26.918" N	92° 39' 1.744" E
Q	11° 29' 42.302" N	92° 38' 34.369" E
R	11° 29' 58.790" N	92° 38' 30.422" E
S	11° 22' 7.441" N	92° 34' 59.099" E
T	11° 22' 8.851" N	92° 34' 56.127" E
U	11° 22' 31.669" N	92° 31' 30.346" E

ANNEXURE - IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: